



# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन संख्या -69, 70, 71, 72, 73, 74 / 2017.....जिला.....जोधपुर.....

CTO : AIC जोधपुर vs श्री मदन लाल मालवीय, रातानाडा जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
20 / 11 / 2017	<p><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री नत्थूराम, सदस्य</b>  <b>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</b></p> <p>रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 69/2017 से 74/2017 निर्णय दिनांक 24.01.2017 के संबंध में दुबारा प्रस्तुत हुए हैं जिनके संबंध में व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पूर्व में रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 35/2017 से 40/2017 कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पुनः प्रति ले ली गई थी जो पुनः दर्ज हो गई तथा बाद में परिशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 35/2017 से 40/2017 कार्यालय में उपलब्ध हो गये थे जो पेशी पर चल ही रहे थे। मूल रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 35/2017 से 40/2017 निर्णय दिनांक 20.11.2017 द्वारा स्वीकार किये जाकर क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 2024/2012 से 2029/2012 रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रकार रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 69/2017 से 74/2017 प्रभावशून्य हो चुके हैं जिससे ये प्रार्थना पत्र प्रभावशून्य होने के कारण खारिज किये जाते हैं।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               ( मदन लाल मालवीय )              सदस्य           </div> <div style="text-align: center;">               ( नत्थूराम )              सदस्य           </div> </div>	